

कार्यालय का नाम –

ईन्टर्नशिप प्रमाण पत्र

क्र.स.:-

दिनांक :-

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी सुश्री/श्री/श्रीमति
पिता/पत्नि का नाम श्री..... निवासी.....
..... तहसील.....विधानसभा क्षेत्र.....
जिला.....रोजगार कार्यालय पंजीयन संख्या.....
ने दिनांकसे दिनांक तक इस
कार्यालय में उपस्थित होकर कार्य अनुभव सीखने हेतु लगातार ईन्टर्नशिप की है।
यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके
आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के
अन्तर्गत दावा/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर
कार्यालयाध्यक्ष की मोहर